



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक:- एफ. 1(3)(161) निमअ/स्था/प्रशिक्षण/2019/11272-78 जयपुर, दिनांक : 19.3.2021


उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
बांसवाडा, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, प्रतापगढ,
उदयपुर एवं भीलवाडा। उदयपुर।

विषय:- संरक्षण अधिकारी एवं पर्यवेक्षको के लिये क्षमता वर्धन कार्यशाला कार्यक्रम में
आंशिक संशोधन बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय का पत्रांक 11106-138 दिनांक 19.03.2021


उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा चलाई
जा रही योजनाओ के सुदृढ क्रियान्वयन हेतु यूएनएफपीए के सहयोग से संरक्षण अधिकारी एवं
पर्यवेक्षको के लिये क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

उक्त क्षमतावर्धन कार्यशाला के लिये आपके जिले के लिये दिनांक 25.03.2021 निर्धारित की
गयी थी जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये अब ये दिनांक 24.03.2021 को आयोजित की जायेगी।


(डॉ. आभा जैन)
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक:- एफ. 1(3)(161) निमअ/स्था/प्रशिक्षण/2019/11279-313 जयपुर, दिनांक : 19.3.2021
प्रतिलिपि:-

1. श्री सुनिल थॉमस जैकब, स्टेट प्रोग्राम कोर्डिनेटर, UNFPA, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2. निदेशालय, महिला अधिकारिता के सभी प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
3. उप निदेशक (प्रशिक्षण), महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त।
5. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक, म.अ.